झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0(विविध) 26 / 2021— 780

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

उपायुक्त,
गोड्डा।

राँची, दिनांक 26.11.2021

विषयः— **गोड्डा जिला भ्रमण के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम में निरीक्षण के क्रम में नमक एवं चीनी के संधारण तथा वितरण में पाये गये अनियमितता के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक—25.11.2021 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गोड्डा जिला भ्रमण के दौरान जिले के सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम में काफी मात्रा में वर्ष 2017 का नमक पडा पाया गया। इस नमक के साथ ही 2019, 2020 का भी नमक पाया गया। इस सबों का storage unhygienic तरीके से किया गया है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि एक कमरे में चीनी storage किया गया है। चीनी unhygienic तरीके से store किया गया है। पृच्छा करने पर AGM द्वारा बताया गया कि चीनी के रखने हेतु गोदाम नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि चीनी वितरण हेतु SIO नहीं मिलने के कारण चीनी, डीलर को नहीं भेजा जा सका है। जैसे–जैसे SIO निर्गत होता है चीनी संबंधित डीलर को भेजा जाता है।

चीनी एंव नमक के संबंध में निदेशानुसार निम्न बिन्दुओं पर आपका पक्ष अपेक्षित है:—

1. 2017 के नमक जिसके ईस्तेमाल की अवधि 2 वर्ष थी, का अबतक वितरण क्यों नहीं हुआ ?
2. इस्तेमाल की अवधि समाप्त होने के बाद उसे हटाया क्यों नहीं गया ?
3. 2020 के नमक का वितरण अबतक क्यों नहीं किया गया है ?
4. अलग–अलग वर्षों के नमक एक साथ रखे गए हैं। वितरण योग्य नमक एवं इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो गए नमक को एक साथ क्यों रखा गया है ?
5. आपके द्वारा इस विषय पर कब समीक्षा की गई है एवं आपने इस संदर्भ में अबतक क्या कार्रवाई की है ?
6. गोदाम में संधारित चीनी में से कुछ चीनी खराब हो चुका है। उपस्थित AGM एवं MO द्वारा बताया गया कि इसी चीनी को वितरण हेतु PDS केन्द्रों में भेजा जाता है। स्पष्ट किया जाय कि जो चीनी खराब हो चुका है उसे वितरण हेतु PDS केन्द्रों में क्यों भेजा जाता है ?
7. अन्त्योदय परिवारों को ससमय अनुदानित दर पर चीनी नहीं मिल पाने का दोषी कौन है एवं दोषियों के आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

D:\Premlata\vinod sir.docx33

8. SIO समय पर निर्गत हो, इसके लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?
9. जिन डीलर द्वारा ससमय चीनी का मूल्य जमा नहीं किया जाता है, उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

साथ ही उपरोक्त अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए जिला के सभी JSFC गोदामो का निरीक्षण कराकर नमक एवं चीनी के अवशेष मात्रा का प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में आयोग को उपलब्ध कराया जायः–

क्र0सं0	गोदाम का नाम	अवशेष नमक/चीनी किस अवधि का है		अवशेष मात्रा (क्वीन्टल में)	अभियुक्ति
		वर्ष	तिमाही		
1	2	3	4	5	6

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर अपना पक्ष एक सप्ताह के अंदर आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

26/11/21

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0(विविध) 26/2021–780/ राँची, दिनांकः–26.11.2021

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त, झारखण्ड को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने-अपने जिला के नमक/चीनी के भण्डारण पर विशेष ध्यान देते हुए खाने योग्य अवितरित चीनी, नमक का वितरण यथाशीघ्र कराया जाए एवं ससमय वितरण नहीं होने के लिए जिम्मेदार कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

26/11/21

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0(विविध) 26/2021–780/ राँची, दिनांकः–26.11.2021

प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

26/11/21

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची।

O/C

D:\Premlata\vinod sir.docx34

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रॉंची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261